	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	चैत्र 9, गुरुवार, शाके 1939–मार्च 30, 2017 *Chaitra 9, Thursday, Saka 1939-March 30, 2017*	

भाग 4 (क)

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 30, 2017

संख्या प. 2 (1) विधि/2/2017 :–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 मार्च, 2017 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2017

(2017 का अधिनियम संख्यांक 4)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 मार्च 2017 को प्राप्त हुई)

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न पिछड़े वर्गों के लिए राजस्थान राज्य आयोग गठित करने हेतु और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2017 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "पिछड़ा वर्ग" से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न नागरिकों के पिछड़े वर्गों के ऐसे

समस्त प्रवर्ग, जो राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों या पदों के, और राज्य में नागरिकों के पिछड़े वर्गों से संबंधित प्रवर्ग के पक्ष में राज्य में शैक्षिक संस्थाओं में सीटों के, आरक्षण के लिए उपबंध बनाते हुए तत्समय प्रवृत्त संबंधित विधि के द्वारा या अधीन घोषित किये जायें, अभिप्रेत हैं;

(ख) "आयोग" से धारा 3 के अधीन गठित राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अभिप्रेत है;

(ग) "सदस्य" से आयोग का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसमें अध्यक्ष सम्मिलित है;

(घ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ङ) "अनुसूचित जाति" से संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950, समय-समय पर यथा संशोधित, में विनिर्दिष्ट जातियों में से कोई जाति अभिप्रेत है;

(च) "अनुसूचित जनजाति" से संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950, समय-समय पर यथा संशोधित, में विनिर्दिष्ट जनजातियों में से कोई जनजाति अभिप्रेत है;

(छ) "राज्य के अधीन सेवाओं" का वही अर्थ होगा, जो उसे राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम सं. 12) की धारा 2 के खण्ड (छ) में दिया गया है।

अध्याय 2

राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

3. राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन.- (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन इसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और इसे समनुदेशित कृत्यों के निर्वहन के लिए, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से एक निकाय गठित करेगी।

(2) आयोग, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

(क) अध्यक्ष, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है;

(ख) समाज-शास्त्री;

(ग) ऐसे दो व्यक्ति, जो पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान रखते हों; और

(घ) सदस्य-सचिव, जो राजस्थान सरकार के संयुक्त सचिव से अनिम्न रैंक का राज्य सरकार का कोई अधिकारी है या रह चुका है या कोई जिला न्यायाधीश है या रह चुका है:

परन्तु राजस्थान सरकार के आदेश संख्यांक एफ.11(150)आर एण्ड पी/ आर.आर.बी.सी./2007/39035 जयपुर, दिनांक 16 जुलाई, 2007 द्वारा गठित राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, सदस्य-सचिव और सदस्य, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व कार्यरत थे, इस अधिनियम के अधीन आयोग के गठन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन गठित आयोग के अध्यक्ष, सदस्य-सचिव और, यथास्थिति, सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किये गये समझे जायेंगे।

4. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें.- (1) कोई सदस्य तीन वर्ष की कालावधि के लिए या राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त, जो भी पहले हो, पद धारित करेगा।

(2) कोई सदस्य किसी भी समय, राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अध्यक्ष या, यथास्थिति, सदस्य का पद त्याग सकेगा।

(3) राज्य सरकार किसी व्यक्ति को सदस्य के पद से हटा देगी, यदि वह व्यक्ति-

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है;

(ख) ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है और कारावास से दण्डादिष्ट किया जाता है जिसमें, राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है;

(ग) विकृतचित्त हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है;

(घ) कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है;

(ङ) आयोग से अनुपस्थिति की इजाजत लिये बिना आयोग की तीन लगातार बैठकों से अनुपस्थित रहता है; या

(च) उसने राज्य सरकार की राय में अध्यक्ष या सदस्य के पद का ऐसा दुरुपयोग किया है जिसके कारण उस व्यक्ति का पद पर बने रहना पिछड़े वर्गों के हितों या लोकहित के लिए हानिकर हो गया है:

परन्तु इस खण्ड के अधीन किसी व्यक्ति को तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उस व्यक्ति को मामले में सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

(4) उप-धारा (2) के अधीन या अन्यथा हुई कोई रिक्ति नये नामनिर्देशन द्वारा भरी जायेगी।

(5) अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते, और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, ऐसी होंगी जो विहित की जायें।

5. आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी.- (1) राज्य सरकार आयोग को ऐसे अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध करायेगी जो आयोग के कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक हों।

(2) आयोग के प्रयोजन के लिए नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते, और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जायें।

6. वेतन और भत्तों को अनुदानों में से संदत्त किया जाना.- अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते, और धारा 5 में निर्दिष्ट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन, भत्तों को सम्मिलित करते हुए प्रशासनिक खर्चे, धारा 12 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदत्त किये जायेंगे।

7. रिक्तियों इत्यादि से आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.- आयोग का कोई कार्य या कार्यवाहियां केवल इस आधार पर

अविधिमान्य नहीं होंगी कि आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

8. आयोग द्वारा प्रक्रिया का विनियमित किया जाना.- (1) आयोग की बैठक, जब कभी आवश्यक हो, ऐसे समय और स्थान पर होगी जो अध्यक्ष ठीक समझे।

(2) आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा।

(3) आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चय सदस्य-सचिव द्वारा या इस निमित्त सदस्य-सचिव द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

अध्याय 3

आयोग के कृत्य और शक्तियां

9. आयोग के कृत्य.- (1) आयोग, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट निर्देशों के निबंधनों के अनुसार, नागरिकों के किसी वर्ग को संबंधित पिछड़े वर्ग के प्रवर्ग में सम्मिलित करने के लिए अनुरोधों का परीक्षण करेगा और पिछड़े वर्ग के किसी भी प्रवर्ग में अधिक सम्मिलित किये जाने या कम सम्मिलित किये जाने की शिकायतें सुनेगा और उस पर राज्य सरकार को सिफारिशें करेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन आयोग की सिफारिशें सामान्यत: आबद्धकर होंगी किन्तु राज्य सरकार, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, सिफारिशों को खारिज कर सकेगी या उन्हें आयोग को, अपनी सिफारिशों के समर्थन में और अध्ययन करने के लिए, वापस निर्दिष्ट कर सकेगी।

10. आयोग की शक्तियां.- आयोग को, धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन अपने कृत्यों का पालन करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में वही समस्त शक्तियां होंगी जो वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय को हैं, अर्थात्:-

(क) राज्य के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी भी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी भी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना; और

(च) कोई भी अन्य विषय जो विहित किया जाये।

11. राज्य सरकार द्वारा कालिक पुनरीक्षण.- (1) राज्य सरकार, ऐसे वर्गों को, जो पिछड़े वर्ग नहीं रह गये हैं, अपवर्जित करने या नये पिछड़े वर्गों को सम्मिलित करने के उद्देश्य से, पिछड़े वर्गों के प्रवर्गों का कालिक पुनरीक्षण कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कोई पुनरीक्षण करते समय आयोग से परामर्श करेगी।

अध्याय 4

वित्त, लेखे और संपरीक्षा

12. राज्य सरकार द्वारा अनुदान.- (1) राज्य सरकार, विधान-मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किये गये सम्यक् विनियोग के पश्चात्, आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी, जो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने हेतु ठीक समझे।

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशियां खर्च कर सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसी राशियां उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय समझी जायेंगी।

13. लेखे और संपरीक्षा.- (1) आयोग उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख संधारित करेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जो राज्य सरकार द्वारा महालेखाकार, राजस्थान के परामर्श से विहित किया जाये।

(2) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, ऐसे प्राधिकारी या निकाय द्वारा की जायेगी जिसे राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये, और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत व्यय, आयोग को उपलब्ध अनुदानों में से संदेय होगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन विहित प्राधिकारी या निकाय को ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार होंगे जो सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में महालेखाकार, राजस्थान को हैं और उसे विशिष्टतया, बहियों, लेखाओं, संबंधित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों और कागज-पत्रों के पेश किये जाने की मांग करने और आयोग के कार्यालयों में से किसी का भी निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

14. वार्षिक रिपोर्ट.- आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाये, अपनी वार्षिक रिपोर्ट, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूर्ण विवरण देते हुए, तैयार करेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

15. वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखा जाना.- राज्य सरकार, धारा 9 के अधीन आयोग की सिफारिशों पर की गयी कार्रवाई के ज्ञापन और ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किये जाने के कारण, यदि कोई हों, सहित वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट, उनके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

16. आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना.- आयोग का अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

17. नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया, और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं भी विषयों के लिए उपबंध किये जा सकेंगे, अर्थात्:-

(क) धारा 4 की उप-धारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को, तथा धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को, संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ख) धारा 13 के अधीन वह प्ररूप, जिसमें लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार किया जायेगा और वह प्राधिकारी या निकाय जो लेखाओं की संपरीक्षा करेगा;

(ग) ऐसा प्ररूप और ऐसा समय जिसमें धारा 14 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी;

(घ) कोई भी अन्य विषय, जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाये।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की ऐसी कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे नियमों में से किसी में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

18. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसी कोई भी बात कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो उसे ऐसी कठिनाई का निराकरण करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

19. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश सं. 3) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, की गयी कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

आशुतोष कुमार,

शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, March 30, 2017

No. F. 2 (1) Vidhi/2/2017.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Rajya Pichhada Varg Aayog Adhiniyam, 2017 (2017 ka Adhiniyam Shankhyank 4) :-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN STATE COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES ACT, 2017

(Act No. 4 of 2017)

(Received the assent of the Governor on the 28th day of March 2017)

An

Act

to constitute the Rajasthan State Commission for Backward Classes other than the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER I

Preliminary

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan State Commission for Backward Classes Act, 2017.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "backward classes" means all categories of backward classes of citizens, other than the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as may be declared by or under respective law for the time being in force making provision for the reservation of appointments or posts in services under the State and of seats in educational institutions in the State in favour of the respective category of backward classes of citizens in the State;

(b) "Commission" means the Rajasthan State Commission for Backward Classes constituted under section 3;

(c) "Member" means a Member of the Commission and includes the Chairperson;

(d) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(e) "Scheduled Castes" means any of the castes specified in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 as amended from time to time;

(f) "Scheduled Tribes" means any of the tribes specified in the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 as amended from time to time;

(g) "services under the State" shall have the same meaning as assigned to it in clause (g) of section 2 of the Rajasthan Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, Special Backward Classes and Economically Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) Act, 2008 (Act No. 12 of 2009).

CHAPTER II

The Rajasthan State Commission for Backward Classes

3. Constitution of the Rajasthan State Commission for Backward Classes.- (1) The State Government shall constitute a body to be known as the Rajasthan State Commission for Backward Classes to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to, it under this Act.

(2) The Commission shall consist of the following Members to be nominated by the State Government, namely:-

(a) a Chairperson, who is or has been a Judge of a High Court;

(b) a social scientist;

(c) two persons, who have special knowledge in matters relating to backward classes; and

(d) a Member-Secretary, who is or has been an officer of the State Government not below the rank of Joint Secretary to the Government of Rajasthan or is or has been a District Judge:

Provided that the Chairperson, Member-Secretary and Members of the Rajasthan State Commission for Backward Classes constituted by the Rajasthan Government order number F. 11(150)R&P/RRBC/2007/39035 Jaipur, dated 16th July, 2007, who were working immediately before the commencement of this Act shall be deemed to have been nominated as the Chairperson, Member-Secretary and Members, as the case may be, of the Commission constituted under this Act with effect from the date of constitution of the Commission under this Act.

4. Term of office and conditions of service of the Chairperson and Members.- *(1) A Member shall hold office for a period of three years or until the pleasure of the State Government, whichever is earlier.*

(2) A Member may, by writing under his hand addressed to the State Government, resign from the office of Chairperson or, as the case may be, of Member at any time.

(3) The State Government shall remove a person from the office of Member if that person-

(a) becomes an undischarged insolvent;

(b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude;

(c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court;

(d) refuses to act or becomes incapable of acting;

(e) is, without obtaining leave of absence from the Commission, absent from three consecutive meetings of the Commission; or

(f) has, in the opinion of the State Government, so abused the position of Chairperson or Member as to render that person's continuance in office detrimental to the interests of backward classes or the public interest:

Provided that no person shall be removed under this clause until that person has been given an opportunity of being heard in the matter.

(4) A vacancy caused under sub-section (2) or otherwise shall be filled by fresh nomination.

(5) The salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of, the Chairperson and Members shall be such as may be prescribed.

5. Officers and other employees of the Commission.- *(1) The State Government shall provide the Commission with such officers and employees as may be necessary for the efficient performance of the functions of the Commission.*

(2) The salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of, the officers and other employees appointed for the purpose of the Commission shall be such as may be prescribed.

6. Salaries and allowances to be paid out of grants.- The salaries and allowances payable to the Chairperson and Members and the administrative expenses, including salaries, allowances payable to the officers and other employees referred to in section 5, shall be paid out of the grants referred to in sub-section (1) of section 12.

7. Vacancies, etc., not to invalidate proceedings of the Commission.- No act or proceedings of the Commission shall be invalid on the ground merely of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Commission.

8. Procedure to be regulated by the Commission.- (1) The Commission shall meet as and when necessary at such time and place as the Chairperson may think fit.

(2) The Commission shall regulate its own procedure.

(3) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Member-Secretary or any other officer of the Commission duly authorized by the Member-Secretary in this behalf.

CHAPTER III

Functions and powers of the Commission

9. Functions of the Commission.- (1) The Commission shall examine requests for inclusion of any class of citizens in the category of respective backward class as per terms of reference specified by the State Government and hear complaints of over-inclusion or under-inclusion in any category of backward class and make recommendations thereon to the State Government.

(2) The recommendations of the Commission under sub-section (1) shall ordinarily be binding but the State Government may, for the reasons to be recorded in writing, reject the recommendations or refer them back to the Commission to carry out further study to support its recommendations.

10. Powers of the Commission.- The Commission shall, while performing its functions under sub-section (1) of section 9, have all the powers of a civil court trying a suit and in particular, in respect of the following matters, namely:-

(a) summoning and enforcing the attendance of any person from any part of the State and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document;

(c) receiving evidence on affidavits;

(d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;

(e) issuing commissions for the examination of witnesses and documents; and

(f) any other matter which may be prescribed.

11. Periodic revision by the State Government.- (1) The State Government may undertake a periodic revision of the categories of backward classes with a view to excluding therefrom those classes who have ceased to be backward classes or for including therein new backward classes.

(2) The State Government shall, while undertaking any revision referred to in sub-section (1), consult the Commission.

CHAPTER IV

Finance, Accounts and Audit

***12. Grants by the State Government**.– (1) The State Government shall, after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf, pay to the Commission by way of grants such sums of money as the State Government may think fit for being utilized for the purposes of this Act.*

(2) The Commission may spend such sums as it thinks fit for performing the functions under this Act, and such sums shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub-section(1).

13. Accounts and audit.- (1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed by the State Government in consultation with the Accountant General, Rajasthan.

(2) The accounts of the Commission shall be audited by such authority or body as may be prescribed by the State Government and the expenditure incurred in connection with such audit shall be payable out of the grant provided to the Commission.

(3) The Authority or body prescribed under sub-section (2) shall have the same rights and privileges and the authority in connection with such audit as the Accountant General, Rajasthan

has in connection with the audit of Government accounts and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the Commission.

14. Annual report.- The Commission shall prepare, in such form and at such time, for each financial year, as may be prescribed, its annual report giving a full account of its activities during the previous financial year and forward a copy thereof to the State Government.

15. Annual report and audit report to be laid before the State Legislature.- The State Government shall cause the annual report, together with a memorandum of action taken on the recommendations of the Commission under section 9 and the reasons for the non-acceptance, if any, of any such recommendation, and the audit report to be laid as soon as may be after they are received before the House of the State Legislature.

CHAPTER V

Miscellaneous

16. Chairperson, Members and employees of the Commission to be Public servants.- The Chairperson, Members and employees of the Commission shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).

17. Power to make rules.- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of, the Chairperson and Members under sub-section (5) of section 4 and the officers and other employees under sub-section (2) of section 5;

(b) the form in which the annual statement of accounts shall be prepared, and the authority or body which shall audit the accounts, under section 13;

(c) the form in, and the time at, which the annual report shall be prepared under section 14;

(d) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

(3) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days, which may comprise in one session or in two successive sessions and if before the expiry of the session in which they are so laid, or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

18. Power to remove difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by an order published in the Official Gazette, do anything not inconsistent with the provisions of this Act, which appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no order under this section shall be made after the expiry of two years from the date of the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is so made, before the House of the State Legislature.

19. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan State Commission for Backward Classes Ordinance, 2016 (Ordinance No. 3 of 2016) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under this Act.

आशुतोष कुमार,
Secretary to the Government.

39
Government Central Press, Jaipur.